न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–66 / 2022 (2022 / 209) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–भगवानीदेवी पति हजारी तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 रा. का. अधि. सपठित धारा 136 रा. भू रा. अधि.

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर के बेरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 345 में अंकित आराजी संख्या 812 / 4 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा आ.स. 821 / 5 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमी को वादी द्वारा सन् 2013 में तत्कालीन खातेदार मोहम्मद रफीक पिता जमालुदीन जाति मोची से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रमाण में सम्वत् 2049 से 2052 की साबिक जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की नकल वादपत्र के साथ पेश की है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित वादग्रस्त आराजियात संख्या 821 / 4 व 821 / 5 पर तत्कालीन खातेदार वक्त आवंटन से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा उक्त आराजी के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनी हुई थी तथा उक्त भूमी में एक चाह का निर्माण करा रखा था तथा वक्त क्रय की दिनांक से वादी उक्त भूमी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा भूमि क्रय करने के बाद वादी ने चाह को गहरा करवाया तथा उस पर डीजल इंजन लगा रखा है परंतु कुए को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित नहीं किया गया। तहसील रायपुर में भुप्रबंध होने से ग्राम केमुनिया में भी भुप्रबंध हुआ जिससे वादी की साबिक आ.सं. 821 / 4 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के नवीन नम्बर 988 रकबा 0.71 हैक्ट व साबिक आ.सं. 821 / 5 के नवीन नम्बर 989 रकबा 0.37 हैक्ट कायम किए गए प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान जमाबंदी व नवीन नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश की हैं। भू प्रबंध के दौरान भू प्रबंध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वादी की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया गया परंतु वादी की नवीन आराजी संख्या 988 व 989 को नवीन नक्शे में मौके पर कब्जे की स्थिति एवं साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम कर दिया तथा वादी नवीन आ.सं. 988, 989 रकबा 1.08 हैक्ट. के स्थान पर मौके की स्थिति के विपरीत बिलानाम आ.सं. 990 व 991 को तरमीम कर दिया जो गलत होकर अवैध हैं। भू प्रबंध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादी की नवीन आराजी को साबिक नक्शे एवं मौके पर कब्जे की स्थिति के विपरीत तरमीम करने का कोई विधिक

अधिकार नहीं है। जिससे उक्त त्रुटी को पुन जरिए इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री के सही करवाया जाना न्यायोचित हो गया है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर साबिक नक्शे एवं मौके पर कब्जानुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। परंतु भू प्रबंध विभाग द्वारा वादी की उक्त आराजियात के स्थान पर नवीन नक्शे में बिलानाम भूमि संख्या 990, 991 को अंकित कर देने की वादी को जानकारी नहीं हो सकी, वादी की कब्जेशुदा जमीन की जगह बिलानाम आराजी दर्ज कर दी गई जिससे नवीन नवशे में वादी की आ.सं. 988 व 989 कुल रकबा 1.08 हैक्ट को बिलानाम आ.सं 900 व 991 के स्थान पर दर्ज करने तथा आसं 988 व 989 के स्थान पर आ.सं. 990 व 991 का रकबा दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री प्रदान फरमाई जाए। अतः एव श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम केमुणिया में स्थित वादी की आ.स. 988 व 989 रकबा 1.08 हैक्ट. को साबिक नक्शे एवं मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में आ.स. 990 व 991 के रकबा 1.08 हैक्ट. स्थान पर मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे अनुसार दर्ज करने व नवीन नक्शे में आ.सं. 988 व 989 के रकबे 1.08 हैक्ट को आ.सं. 990 व 991 के रकबे में मिलाने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में तहसीलदार रायपुर की ओर से प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जवाब के रूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम केमुणिया जमाबंदी संवत 2076–79 खातेदार भगवानीदेवी पत्नि हजारी तेली निवासी पालरां के आराजी संख्या 988 रकबा 0.71 है0, आराजी संख्या 989 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात के साबिक नम्बर आराजी संख्या 821/4 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 821/5 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। भू प्रबन्ध के दौरान आराजी संख्या 821/5 की आकृति पूर्व में त्रिभुजाकार थी हाल नक्शे में नवीन आराजी संख्या 988 है जो आयताकार है। क्षेत्रफल भी गत के मुकाबले नवीन नक्शे में ज्यादा है। इसी प्रकार गत आराजी संख्या 821/4 का रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा नवीन आराजी संख्या 989 रकबा 0.71 है0 में पूर्व भू–प्रबन्ध नक्शा अष्टभूज में पंचभुज की आकृति है एवं नवीन नक्शे में रकबा कम प्रतीत होता है। मौका देखने पर वादीया का कब्जा वर्तमान नक्शे में 989 में 0.10 है0, 990 में 0.51 है0, 991 रकबा 0.10 है0 भूमि एवं 988 में 0.37 है0, 990 में 0.20 है0 व 1075 में 0.02 है0 कुल 1.30 है0 भूमि पर वादीया का कब्जा है। जहां मौके पर पक्की दीवार बनाकर कब्जा कर रखा है। वर्तमान में आराजी संख्या 990 में एक नवीन चाह आबाद कर सिंचाई के उपयोग में लिया जा रहा है। गत नक्शे के

उक्त दोनो साबिक आराजी एक दुसरे से सटे हुए है जबकि वर्तमान नक्शे में दुर दुर है। वर्तमान नक्शा नवीन राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित कर रखा है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादीया साबिक मूल आराजी संख्या 821 में 5 बीघा भूमि का खातेदार था जिसका वर्तमान प्रणाली में रकबा 1.08 है0 भूमि बनती है। पत्रावली में साबिक नक्शा में आराजी संख्या 821/4 व 821/5 दोनो पास पास होकर सटमा लगे हुए है जबकि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा नवीन नक्शे में उक्त खसरा नम्बरो के जो नवीन नम्बर कायम किये जो 988, 989 है जो मौके पर सटमा नही होकर अलग अलग दर्शा रखे है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा दोनो नम्बरो की नम्बर अन्दाजी करते समय भूल की है। मौके पर वादीया साबिक नक्शे के अनुसार काबिज है ऐसी स्थिति में मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 सपठित धारा 136 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 988 रकबा 0.71 हैक्ट. मे से 0.37 है0, आराजी संख्या 989 रकबा 0.37 है0 मे से 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 है0 भूमि संलग्न राजस्व नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित मौका स्थिति अनुसार वादीया के नाम बदस्तुर रखते हुए शेष रकबा आराजी संख्या 988 मे से 0.27 है0 व आराजी संख्या 989 में से 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जावे और इसके बजाय आराजी संख्या 990 रकबा 1.73 है0 मे से उत्तरी पश्चिमी भाग पर 0.51 है0 भूमि एवं आराजी संख्या 991 रकबा 1.55 है0 मे से 0.10 है0 उत्तरी सीमा के सहारे कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि वादीया की खातेदारी घोषित की जाती है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व नक्शा इस निर्णय का भाग माना जाकर तरमीम की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/7/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—66 / 2022 (2022 / 209) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भगवानीदेवी पति हजारी तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 रा. का. अधि. सपठित धारा 136 रा. भू रा. अधि.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 सपठित धारा 136 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 988 रकबा 0.71 हैक्ट. मे से 0.37 है0, आराजी संख्या 989 रकबा 0.37 है0 मे से 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 है0 भूमि संलग्न राजस्व नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित मौका स्थिति अनुसार वादीया के नाम बदस्तुर रखते हुए शेष रकबा आराजी संख्या 988 मे से 0.27 है0 व आराजी संख्या 989 में से 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जावे और इसके बजाय आराजी संख्या 990 रकबा 1.73 है0 मे से उत्तरी पश्चिमी भाग पर 0.51 है0 भूमि एवं आराजी संख्या 991 रकबा 1.55 है0 मे से 0.10 है0 उत्तरी सीमा के सहारे कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि वादीया की खातेदारी घोषित की जाती है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व नक्शा इस निर्णय का भाग माना जाकर तरमीम की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

20/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा